रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 1999/भाद्र 23, 1921
No. 450] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1999/BHADRA 23, 1921

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1999

भारत गणराज्य की सरकार
और
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार
के बीच
प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 633(अ).—जबकि भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 25 जून, 1997 को वाशिंगटन डी.सी. में हस्ताक्षर किये गये थे तथा इस संधि के अनुच्छेद 23 के अनुसरण में अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान 21 जुलाई, 1999 को नई दिल्ली में किया गया था और जिस संधि में की गई व्यवस्था इस प्रकार है :

अनुच्छेद–एक
प्रत्यर्पण का दायित्व

संविदाकारी पक्ष इस संधि के प्रावधानों के अनुसरण में एक दूसरे के ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करने के लिए सहमत होते हैं जिन पर अनुरोधकर्ता राज्य के प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया हो, अथवा ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, चाहे ऐसा अपराध इस संधि के लागू होने से पहले किया गया हो अथवा बाद में ।

2720 GI/99

अनुच्छेद–दो

प्रत्यर्पण अपराध

1. ऐसा कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा जो दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हो, जिसके लिए बंदी बनाए जाने से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित किया जाता हो अथवा कोई और सख्त सजा दी जाती हो ।

2. ऐसा कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा जो पैरा 1 में उल्लिखित कोई भी अपराध करने के प्रयास अथवा उसके षडयंत्र, उसमें मदद करने अथवा दुष्प्रेरित करने, सलाह देने अथवा उसे करवाने अथवा उसके होने से पहले या बाद उससे सम्बद्ध होने से सम्बन्धित हो ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा ;

(क) चाहे संविदाकारी पक्षों के कानून उस अपराध को अपराधों की एक ही श्रेणी में रखते हों अथवा नहीं या उस अपराध को समान शब्दावली में वर्णित करते हों अथवा नहीं ।

(ख) चाहे यह अपराध ऐसा हो कि नहीं जिसके लिए संयुक्त राज्य के संघीय कानून के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय परिवहन, डाक का इस्तेमाल अथवा अन्तर्राज्यीय विदेशी वाणिज्य को प्रभावित करने वाले अन्य सुविधाओं जैसे मामले प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, ये मामले केवल संयुक्त राज्य संघीय न्यायालय का कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के प्रयोजन से ही अपेक्षित होते हैं, अथवा

(ग) चाहे वह कर अथवा राजस्व से सम्बन्धित हो अथवा नहीं अथवा पूर्णतया धन से सम्बन्धित हो अथवा नहीं ।

4. किसी भी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण की अनुमति दी जाएगी बिना इस बात को अहमियत देते हुए कि अपराध कहां किया गया अथवा कहां किए गए ।

5. यदि किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी गई है तो ऐसे किसी अन्य अपराध के लिए भी जिसके लिए अनुरोध किया गया है, प्रत्यर्पणीय की अनुमति दे ही दी जाएगी चाहे जिसके लिए दण्ड स्वरूप एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित किया जाता हो बशर्ते कि प्रत्यर्पणीय की सभी अपेक्षाएं पूरी होती हो ।

अनुच्छेद - तीन

राष्ट्रीयता

प्रत्यर्पण इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वांछित व्यक्ति प्रार्थित राज्य का राष्ट्रिक है ।

अनुच्छेद - चार

राजनैतिक अपराध

1. ऐसे किसी भी अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि वह राजनीतिक अपराध है ।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराध नहीं माने जाएंगे :

(क) दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष आथवा परिवार के किसी सदस्य की हत्या अथवा उनके साथ जानबूझकर किए जाने वाला अपराध अथवा,

(ख) 16 दिसम्बर, 1970 में "द हेग" में सम्पन्न विमान को गैरकानूनी ढंग से हड़पने को रोकने से संबंधित "द हेग अभिसमय" में उल्लिखित विमान अपहरण से सम्बन्धित अपराध,

(ग) 23 सितम्बर, 1971 को मान्ट्रीयल में संपन्न नागर विमानन सुरक्षा के विरूद्ध गैर कानूनी हत्या को रोकने से सम्बद्ध मान्ट्रीयल अभिसमय में उल्लिखित विमानों की तोड़ फोड़ से संबंधित कृत्य ।

(घ) 14 दिसम्बर, 1973 को न्यूयार्क में संपन्न, राजनयिक एजेन्टों सहित अन्तर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध किए जाने वाले अपराधों की रोकथाम और उनके लिए दिए जाने वाले दंड से संबंधित अभिसमय में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों, जिनमें राजनयिक भी शामिल हैं, के विरूद्ध अपराध ,

(ङ.) 17 दिसम्बर, 1979 को न्यूयार्क में संपन्न बन्धक बनाए जाने के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में लिखे अनुसार बन्धक बनाना

(च) 30 मार्च, 1961 को न्यूयार्क में सम्पन्न स्वापक औषध एकल अभिसमय 1961, 25 मार्च, 1972 को जेनेवा में स्वापक औषध एकल अभिसमय 1961 में संशोधन करने से संबंधित प्रोतोकोल तथा 20 दिसम्बर, 1988 को विएना में संपन्न स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में लिखित अवैध औषधियों से सम्बन्धित अपराध,

(छ) ऐसा कोई भी अन्य अपराध जिसके लिए किसी बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय करार के तहत दोनों संविदाकारी पक्ष किसी ऐसे व्यक्ति का प्रत्यप्रण करने के लिए बाध्य हो जिसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है अथवा उसके विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए निर्णय लेने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों को मामला प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो,

(ज) उपरोक्त किसी भी अपराध का षडयंत्र रचने अथवा अपराध करने के प्रयास अथवा ऐसे अपराध करने वाले अथवा करने के प्रयास करने वाले व्यक्ति की सहायता करना अथवा उसे दुष्प्रेरित करना ।

अनुच्छेद पाँच

सैनिक अपराध और प्रत्यर्पण से इंकार करने के अन्य आधार

1. प्रार्थित देश का कार्यकारी प्राधिकारी सैनिक कानून के अन्तर्गत आने वाले अपराधों जो सामान्य आपराधिक कानून के अन्तर्गत आने वाले अपराध नहीं है, के लिए प्रत्यर्पण करने से इन्कार कर सकता है ।

2. अगर प्रार्थित राज्य का कार्यकारी प्राधिकारी निर्धारित करता है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनीतिक कारणों से प्रेरित है तो प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद - छह

पूर्व अभियोजन

1. उस स्थिति में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा जब वांछित व्यक्ति को प्रार्थित राज्य में उस अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो अथवा बरी कर दिया गया हो जिसके निमित्त प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रत्यर्पण इस तथ्य से प्रतिबंधित नहीं होगा कि प्रार्थित राज्य के प्राधिकारियों ने वांछित व्यक्ति पर उन कृत्यों, जिनके संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, के लिए मुकदमा नहीं चलाने अथवा इन कृत्यों के लिए वांछित व्यक्तियों के लिए शुरू की गई किसी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया हो ।

अनुच्छेद - सात

समय की समाप्ति

जब अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाने की अवधि समाप्त हो जाए तो प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद - आठ

मृत्यु दण्ड

1. जब अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार मृत्यु दण्ड की सज़ा का प्रावधान है, और प्रार्थित राज्य के कानूनों के अनुसार उसके लिए मृत्यु दण्ड की सजा नहीं हो तो प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है यदि,

(क) प्रार्थित राज्य के कानूनों के अन्तर्गत हत्या का अपराध न हो ।

(ख) अनुरोधकर्ता राज्य यह आश्वासन नहीं देता है कि अगर मृत्यु दण्ड दिया जाता है तो उसे निष्पादित नहीं किया जाएगा ।

2. जिन मामलों में अनुरोधकर्ता राज्य इस अनुच्छेद के पैरा (1) (ख) के अनुरूप आश्वासन देता है उनमें यदि अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्यु दण्ड दिया गया है तो उसे निष्पादित नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद - नौ

प्रत्यर्पण कार्यविधि और अपेक्षित दस्तावेज

1. प्रत्यर्पण के लिए सभी प्रकार के अनुरोध राजनयिक माध्यम से किए जाएंगे ।

2. प्रत्यर्पण के लिए सभी प्रकार के अनुरोधों के साथ निम्नलिखित लगाए जाएंगे

(क) ऐसे दस्तावेज, विवरण या अन्य सूचनाएं जिनमें वांछित व्यक्ति की पहचान और सम्भाव्य स्थान का वर्णन है ।

(ख) अपराध के तथ्यों की विवरणात्मक सूचना और मामले का कार्यविधिक विवरण

(ग) कानूनों के प्रावधानों का विवरण जिसमें उस अपराध के आवश्यक घटकों का वर्णन हो जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है ।

(घ) कानून के प्रावधानों का विवरण जिनमें अपराध के लिए दण्ड का वर्णन हो, और

(ङ.) इस अनुच्छेद के पैरा 3 और पैरा 4 के निर्दिष्ट के सभी दस्तावेज, विवरण या अन्य सभी प्रकार की सूचनाएं, जो लागू हों ।

3. अभियोजन के लिए जिस व्यक्ति की मांग की गई है उसके प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ निम्नलिखित भी लगाए जाएंगे :

(क) न्यायाधीश या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वारंट या गिरफ्तारी आदेश,

(ख) आरोप सम्बन्धी दस्तावेज यदि कोई हो, की प्रतिलिपि, और

(ग) यदि अपराध प्रार्थित राज्य में किया गया है तो ऐसी सूचना जो मुकदमा चलाने की कार्यवाही को न्यायोचित ठहराती हो ।

4. ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, से संबंधित प्रत्यर्पण अनुरोध निम्नलिखित से भी समर्थित होगा :

(क) सिद्धदोष संबंधी न्याय निर्णय की प्रतिलिपि या ऐसी प्रतिलिपि उपलब्ध न हो तो न्यायिक प्राधिकारी से एक बयान कि उस व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया गया है ।

(ख) यह सूचना जो यह स्थापित करे कि वांछित व्यक्ति ही वह व्यक्ति है जिसे सिद्धदोष ठहराया गया है ।

(ग) अगर व्यक्ति को सजा सुनाई गई है तो सजा के आदेश की प्रतिलिपि और ऐसा विवरण जिसमें यह बताया गया हो कि सजा कितनी पूरी कर ली गई है, और

(घ) ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे उसकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई है, पैरा3 में अपेक्षित दस्तावेज ।

अनुच्छेद - दस

दस्तावेज की ग्राह्यता

प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ लगे दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे तथा प्रत्यर्पण कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे, अगर :

﴾क﴿ संयुक्त राज्य से अनुरोध प्राप्त होने की दशा में ये दस्तावेज संयुक्त राज्य में रह रहे भारत गणराज्य के प्रधान राजनयिक या प्रधान कोंसली अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाएंगे

﴾ख﴿ अगर अनुरोध भारत गणराज्य से किया जाता है तो ये दस्तावेज भारत गणराज्य में रह रहे संयुक्त राज्य के प्रधान राजनयिक या प्रधान कोंसली अधिकारी द्वारा संयुक्त राज्य के प्रत्यर्पण कानून के प्रावधान के अनुसार सत्यापित किये जाएंगे , या

﴾ग﴿ ये दस्तावेज प्रार्थित राज्य के कानूनों द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार से सत्यापित हों या प्रमाणित हों ।

अनुच्छेद – ग्यारह

अनुवाद

अनुरोधकर्ता राज्य सभी दस्तावेज अंग्रेजी में प्रस्तुत करेगा ।

अनुच्छेद- बारह

अनन्तिम गिरफ्तारी

1. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करने तक संविदाकारी राज्य अत्यावश्यकता की दशा में वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है । अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा । ऐसे अनुरोध को सम्प्रेषित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन ﴾इन्टरपोल﴿ की सुविधाएं प्रयोग की जा सकती हैं ।

2. अनन्तिम गिरफ्तारी के आवेदन में निम्नलिखित होगा :

﴾क﴿ वांछित व्यक्ति का ब्यौरा ;

﴾ख﴿ वांछित व्यक्ति की अवस्थिति, यदि ज्ञात हो ;

﴾ग﴿ मामले के तथ्यों का संक्षिप्त ब्यौरा जिसमें, अगर सम्भव हो, अपराध का समय और स्थान दिया हो;

﴾घ﴿ जिस कानून का उल्लंघन किया गया है उसका ब्यौरा;

(ङ.) वांछित व्यक्ति के विरुद्ध विद्यमान गिरफ्तारी वारण्ट या दोष जांच परिणाम या दोष सिद्ध होने संबंधी निर्णय का ब्यौरा, और

(च) यह बयान कि वांछित व्यक्ति के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में भेजा जाएगा ।

3. अनुरोधकर्ता राज्य को उसके आवेदन के निपटान तथा किसी इन्कार के कारणों की सूचना अविलम्ब दी जाएगी ।

4. अगर प्रार्थित राज्य के कार्यकारी प्राधिकारियों को प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध और उसकी पुष्टि स्वरूप अनुच्छेद नौ में अपेक्षित समर्थन दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति को जिसे इस संधि के अनुसरण में अनन्तिम रूप से गिरफ्तार किया गया है, अनन्तिम गिरफ्तारी की तारीख से 60(साठ) दिनों के पश्चात हिरासत से रिहा किया जा सकता है ।

5. यह तथ्य कि वांछित व्यक्ति जिसे इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसरण में हिरासत से रिहा किया गया है की परवर्ती पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा यदि प्रत्यर्पण अनुरोध और समर्थन दस्तावेज बाद की किसी तारीख को प्राप्त होते हैं ।

अनुच्छेद - तेरह

निर्णय और समर्पण

1. प्रार्थित राज्य शीघ्र ही राजनयिक माध्यम से अनुरोधकर्ता राज्य को प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अपने निर्णय से अवगत कराएगा ।

2. अगर प्रत्यर्पण के अनुरोध को पूरी तरह से या उसके किसी भाग को अस्वीकार किया जाएगा तो प्रार्थित राज्य इसके अस्वीकार करने के कारण बताएगा । प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध पर न्यायिक निर्णयों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा ।

3. यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाएगा तो संविदाकारी राज्यों के प्राधिकारी वांछित व्यक्ति के समर्पण के लिए समय और स्थान तय करेंगे ।

4. यदि प्रार्थित राज्य के क्षेत्र से वांछित व्यक्ति को उस राज्य के कानून द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं हटाया जाता है तो उस व्यक्ति को हिरासत से मुक्त कर दिया जाएगा और बाद में प्रार्थित राज्य उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण के अनुरोध को नामंजूर कर सकता है ।

अनुच्छेद - चौदह

अस्थायी और आस्थगित समर्पण

1. अगर किसी व्यक्ति जिस पर प्रार्थित राज्य में मुकदमा चलाया जा रहा है या वह सजा भोग रहा है के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है तो प्रार्थित राज्य अपने यहां के कानून के अनुसार उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए उसे अनुरोधकर्ता देश को अस्थायी तौर पर सौंप सकता है । इस प्रकार समर्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य में हिरासत में रखा जाएगा और उस व्यक्ति को उस पर चलाई गई मुकदमे की कार्यवाही की समाप्ति के बाद संविदाकारी राज्यों की सहमति से निर्धारित की गई शर्तों के अनुरूप प्रार्थित राज्य को सौंप दिया जाएगा ।

2. प्रार्थित राज्य उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रत्यर्पण कार्यवाही को स्थगित कर सकता है जिस पर उस राज्य में मुकदमा चलाया जा रहा है या वह सजा भोग रहा है । यह स्थगन तब तक जारी रह सकता है जब तक उस व्यक्ति का अभियोजन सम्पन्न नहीं हो जाए या वह सुनाई गई सजा पूरी न कर ले ।

अनुच्छेद - पन्द्रह

एक से अधिक राज्यों से प्रत्यर्पण का अनुरोध

अगर प्रार्थित राज्य को अन्य संविदाकारी राज्य से और किसी अन्य राज्य या राज्यों से एक ही व्यक्ति के लिए एक ही अपराध या विभिन्न अपराधों के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त होता है तो प्रार्थित राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी यह निश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति को किस राज्य को सौंपा जाएगा । अपना निर्णय लेते समय प्रार्थित राज्य निम्नलिखित के साथ साथ अन्य सभी संबंधित घटकों पर विचार करेगा :

(क) क्या अनुरोध संधि के अनुसरण में किए गए थे :

(ख) वह स्थान जहां प्रत्येक अपराध किया था :

(ग) अनुरोधकर्ता राज्यों के अपने अपने हित :

(घ) अपराध की गम्भीरता :

(ङ) प्रभावित व्यक्ति की राष्ट्रिकता :

(च) अनुरोकर्ता राज्यों के बीच आगे प्रत्यर्पण की सम्भावना : और

(छ) अनुरोधकर्ता राज्यों से प्राप्त अनुरोधों का क्रम ।

अनुच्छेद – सोलह

सम्पत्ति का अभिग्रहण और अभ्यर्पण

1. जिस अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई है उससे संबद्ध सभी वस्तुओं, दस्तावेजों और साक्ष्य को प्रार्थित राज्य अपनी विधि के तहत अनुमत सीमा तक अभिगृहीत करके अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप सकता है । यदि वांछित व्यक्ति का प्रत्यर्पण उसकी मृत्यु, उसके गायब होने अथवा उसके बच निकलने के कारण नहीं हो सकता है तो भी इस अनुच्छेद में वर्णित मदें अभ्यर्पित की जा सकती हैं ।

2. प्रार्थित राज्य सम्पत्ति के अभ्यर्पण पर यह शर्त लगा सकता है कि अनुरोधकर्ता राज्य उसे इस आशय का संतोषजनक आश्वासन दे कि उक्त सम्पत्ति ज्यों ही व्यवहार्य होगी प्रार्थित राज्य को लौटा दी जाएगी । प्रार्थित राज्य ऐसी सम्पत्ति के अभ्यर्पण को भी आस्थगित कर सकता है यदि प्रार्थित राज्य में उसकी साक्ष्य के रूप आवश्यकता हो ।

3. इस प्रकार की सम्पत्ति पर तृतीय पक्षों के अधिकारों का समुचित रूप से सम्मान किया जाएगा ।

अनुच्छेद - सत्रह

विशेष नियम

1. इस संधि के अधीन प्रत्यर्पित व्यक्ति को निम्नलिखित के सिवाय अनुरोधकर्ता राज्य में नजरबंद नहीं किया जा सकता, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता अथवा उसे दंडित नहीं किया जा सकता ;

(क) अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया अथवा उन्हीं तथ्यों पर आधारित भिन्न नाम वाला अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया बशर्ते कि ऐसा अपराध प्रत्यर्पणीय हो अथवा न्यूनतम सम्मिलित अपराध हो,

(ख) व्यक्ति के प्रत्यर्पण के बाद किया गया कोई अपराध, अथवा

(ग) अपराध जिसके लिए प्रार्थित राज्य का कार्यकारी प्राधिकारी उस व्यक्ति की नज़रबंदी, अभियोग अथवा सज़ा देने के लिए सहमत है । इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए :

(i) प्रार्थित राज्य अनुच्छेद 9 में मांगे गये दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, और

(ii) अनुरोध पर कार्रवाई के दौरान अनुरोधकर्ता राज्य प्रत्यर्पित व्यक्ति को 90 दिन के लिए अथवा उससे अधिक उतनी अवधि के लिए नजरबन्द रख सकता है, जिसे प्रार्थित राज्य प्राधिकृत करे ।

2. इस संधि के तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति को उसके अभ्यर्पण से पूर्व किये गए किसी अपराध के सिलसिले में किसी तीसरे राज्य को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक अभ्यर्पण करने वाला राज्य अपनी सहमति न दे दे ।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में किसी प्रतयर्पित व्यक्ति की नजरबन्दी अभियोजन अथवा सजा को रोकने अथवा तृतीय राज्य के लिए उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण को रोकने का प्रावधान नहीं है, यदि

{क} वह व्यक्ति प्रत्यर्पण के पश्चात अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश को छोड़ देता है और स्वैच्छिक रूप से पुनः वहाँ लौट आता है, अथवा

{ख} वह व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश को उस दिन से 15 दिन के भीतर नहीं छोड़ता है जिस दिन वह उस देश को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो ।

अनुच्छेद – अठारह

प्रत्यर्पण का अधित्याग

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य में समर्पण के लिए सहमत है, तो प्रार्थित राज्य बिना आगे कोई कार्रवाई किए अपने कानूनों के तहत उस व्यक्ति का जल्दी से जल्दी समर्पण मांग सकता है ।

अनुच्छेद – उन्नीस

पारगमन

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य तृतीय राज्य द्वारा अन्य राज्य को समर्पण किए गए व्यक्ति को अपने प्रदेश से होकर ले जाने हेतु प्राधिकृत कर सकता है । पारगमन के लिए राजनयिक माध्यम के जरिए अनुरोध किया जाएगा । इस प्रकार के अनुरोध के सम्प्रेषण के लिए इन्टरपोल की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है । इसमें ले जाए जा रहे व्यक्ति का हुलिया और मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा । ले जाए जा रहे किसी व्यक्ति को पारगमन की अवधि के दौरान हिरासत में लिया जा सकता है ।

2. उस मामले में किसी प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है जिसमें प्रत्यर्पित व्यक्ति को वायुयान से ले जाया जा रहा हो और उस वायुयान को संविदाकारी राज्य के प्रदेश में उतरना नहीं होगा यदि अन्य संविदाकारी राज्य के प्रदेश में विमान का अनिश्चित अवतरण होता है तो, अन्य संविदाकारी राज्य पारगमन के लिए अनुरोध की मांग कर सकता है जैसाकि पैरा 1 में प्रावधान है । वह संविदाकारी राज्य पारगमन के लिए अनुरोध प्राप्त होने तक ले जाए जा रहे व्यक्ति को नजरबन्द रखेगा। विमान के अनिश्चित अवतरण के 96 घंटों के भीतर अनुरोध प्राप्त होने पर पारगमन की अनुमति दे दी जाएगी ।

अनुच्छेद –बीस

अभ्यावेदन और व्यय

1. प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के किस अनुरोध के परिणामतः उत्पन्न किसी भी कार्यवाही में अनुरोधकर्ता राज्य की ओर से न्यायालय में सलाह देगा, सहायता करेगा, पेश होगा, तथा अनुरोधकर्ता राज्य के हितों को पेश करेगा ।

2. अनुरोधकर्ता राज्य अभ्यर्पित व्यक्ति को लाने ले जाने और दस्तावेजों के अनुवाद से संबद्ध व्यय वहन करेगा । प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण कार्यवाहियों के परिणामत: उस राज्य में होने वाले अन्य सभी व्यय का भुगतान करेगा।

3. दोनों में से कोई भी राज्य इस संधि के तहत वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी, नज़रबन्दी, पूछताछ अथवा समर्पण के आधार पर दूसरे के प्रति कोई आर्थिक दावा नहीं करेगा ।

अनुच्छेद - इक्कीस

परामर्श

इस संधि के क्रियान्वयन के लिए भारत गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका के सक्षम प्राधिकारी अलग अलग मामलों पर कार्यवाही करने के सिलसिले में और क्रियाविधियों को बनाये रखने और उन्हें बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ सीधे इन्टरपोल की सुविधाओं के जरिए परामर्श कर सकते हैं ।

अनुच्छेद - बाईस

प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता

दोनों संविदाकारी राज्य अपनी-अपनी विधि द्वारा अनुमत सीमा तक, एक दूसरे को उन आपराधिक मामलों में अधिकतम परस्पर सहायता प्रदान करेंगे जिनके संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो ।

अनुच्छेद - तेईस

अनुसमर्थन और प्रवर्तन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्याधीन होगी, अनुसमर्थन दस्तावेजों का यथाशीघ्र आदान-प्रदान किया जाएगा

2. यह संधि अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान होने पर लागू होगी ।

3. जब यह संधि प्रवृत्त हो जाएगी तो संयुक्त राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच अपराधियों के परस्पर प्रत्यर्पण के लिए 22 दिसम्बर, 1931 को लन्दन में सम्पन्न संधि संयुक्त राज्य अमरीका और भारत गणराज्य की सरकार के बीच निष्प्रभावी हो जाएगी । तथापि, पूर्व संधि उन प्रत्यर्पण कार्यवाहियों पर लागू होगी जिनके प्रत्यर्पण दस्तावेज इस संधि के लागू होने के समय प्रार्थित राज्य की अदालत में पहले ही पेश किए जा चुके हैं सिवाय इसके कि इस संधि का अनुच्छेद 17 इस प्रकार की कार्यवाहियों पर लागू होगा ।

अनुच्छेद–चौबीस

समाप्ति

दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को लिखित सूचना देकर इस संधि को किसी भी समय समाप्त कर सकता है और समाप्ति ऐसी सूचना देने की तारीख के छह माह बाद लागू होगी ।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने जो अपनी–अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत हैं, इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं।

वाशिंगटन डी. सी. में सन् एक हजार नौ सौ सत्तानवे के जून मास के पच्चीसवें दिन हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो–दो मूल पाठों में सम्पन्न, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 1 अप्रैल, 1966 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 493 के अतिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय–III को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से संयुक्त राज्य अमरीका पर लागू होंगे ।

[सं. टी. 413/15/95]

एस. आर. तयाल, संयुक्त सचिव (सी. पी. वी.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 14th September, 1999

Extradition Treaty
between
the Government of Republic of India
and
the Government of the United States of America

G.S.R. 633(E).— Whereas the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America was signed at Washington D.C. on 25th June,1997 and in accordance with Article 23 of the Treaty instruments of ratification were exchanged at New Delhi on 21st July, 1999 and which treaty provides as follows:

ARTICLE -1

The Contracting Stages agree to extradite to each other, pursuant to the provisions of this Treaty, person who, by the authorities in the Requesting State are formally accused of, charged with or convicted of an extraditable offence, whether such offence was committed before or after the entry into force of the Treaty.

Article 2

Extraditable Offenses

1. An offense shall be an extraditable offense if it is punishable under the laws in both Contracting States by deprivation of liberty, including imprisonment, for a period of more than one year or by a more severe penalty.

2. An offense shall also be an extraditable offense if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counselling or procuring the commission of or being an accessory before or after the fact to, any offense described in paragraph 1.

3. For the purposes of this Article, an offense shall be an extraditable offense:

(a) whether or not the laws in the Contracting States place the offense within the same category of offenses or describe the offense by the same terminology;

(b) whether or not the offense is one for which United States federal law requires the showing of such matters as interstate transportation, or use of the mails or of other facilities affecting interstate or foreign commerce, such matters being merely for the purpose of establishing jurisdiction in a United States federal court; or

(c) whether or not it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

4. Extradition shall be granted for an extraditable offense regardless of where the act or acts constituting the offense were committed.

5. If extradition has been granted for an extraditable offense, it shall also be granted for any other offense specified in the request, even if the latter offense is punishable by less than one year's deprivation of liberty, provided that all other requirements for extradition are mêt.

Article 3

Nationality

Extradition shall not be refused on the ground that the person sought is a national of the Requested State.

Article 4

Political Offenses

1. Extradition shall not be granted if the offense for which extradition is requested is a political offense.

2. For the purposes of this Treaty, the following offenses shall not be considered to be political offenses:

(a) a murder or other willful crime against the person of a Head of State or Head of Government of one of the Contracting States, or of a member of the Head of State's or Head of Government's family;

(b) aircraft hijacking offenses, as described in The Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at the Hague on December 16, 1970;

(c) acts of aviation sabotage, as described in the Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on September 23, 1971;

(d) crimes against internationally protected persons, including diplomats, as described in the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, done at New York on December 14, 1973;

(e) hostage taking, as described in the International Convention against the Taking of Hostages, done at New York on December 17, 1979;

(f) offenses related to illegal drugs, as described in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on March 30, 1961, the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at Geneva on March 25, 1972, and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, done at Vienna on December 20, 1988;

(g) any other offense for which both Contracting States have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution; and

(h) a conspiracy or attempt to commit any of the foregoing offenses, or aiding or abetting a person who commits or attempts to commit such offenses.

Article 5

Military Offenses and Other Bases for Denial of Extradition

1. The executive authority of the Requested State may refuse extradition for offenses under military law which are not offenses under ordinary criminal law.

2. Extradition shall not be granted if the executive authority of the Requested State determines that the request was politically motivated.

Article 6

Prior Prosecution

1. Extradition shall not be granted when the person sought has been convicted or acquitted in the Requested State for the offense for which extradition is requested.

2. Extradition shall not be precluded by the fact that the authorities in the Requested State have decided not to prosecute the person sought for the acts for which extradition is requested, or to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against the person sought for those acts.

Article 7

Lapse of Time

Extradition shall not be granted when the prosecution has become barred by lapse of time according to the laws of the Requesting State.

Article 8

Capital Punishment

1. When the offense for which extradition is sought is punishable by death under the laws in the Requesting State and is not punishable by death under the laws in the Requested State, the Requested State may refuse extradition unless:

(a) the offense constitutes murder under the laws in the Requested State; or

(b) the Requesting State provides assurances that the death penalty, if imposed, will not be carried out.

2. In instances in which a Requesting State provides an assurance in accordance with paragraph (1)(b) of this Article, the death penalty, if imposed by the courts of the Requesting State, shall not be carried out.

Article 9

Extradition Procedures and Required Documents

1. All requests for extradition shall be submitted through the diplomatic channel.

2. All requests for extradition shall be supported by:

(a) documents, statements, or other types of information which describe the identity and probable location of the person sought;

(b) information describing the facts of the offense and the procedural history of the case;

(c) a statement of the provisions of the law describing the essential elements of the offense for which extradition is requested;

(d) a statement of the provisions of the law describing the punishment for the offense; and

(e) the documents, statements, or other types of information specified in paragraph 3 or paragraph 4 of this Article, as applicable.

3. A request for extradition of a person who is sought for prosecution shall also be supported by:

(a) a copy of the warrant or order of arrest, issued by a judge or other competent authority;

(b) a copy of the charging document, if any; and

(c) such information as would justify the committal for trial of the person if the offense had been committed in the Requested State.

4. A request for extradition relating to a person who has been convicted of the offense for which extradition is sought shall also be supported by:

(a) a copy of the judgment of conviction or, if such copy is not available, a statement by a judicial authority that the person has been convicted;

(b) information establishing that the person sought is the person to whom the conviction refers;

(c) a copy of the sentence imposed, if the person sought has been sentenced, and a statement establishing to what extent the sentence has been carried out; and

(d) in the case of a person who has been convicted *in absentia*, the documents required in paragraph 3.

Article 10

Admissibility of Documents

The documents which accompany an extradition request shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings if:

(a) in the case of a request from the United States, they are certified by the principal diplomatic or principal consular officer of the Republic of India resident in the United States;

(b) in the case of a request from the Republic of India, they are certified by the principal diplomatic or principal consular officer of the United States resident in the Republic of India, as provided by the extradition laws of the United States; or

(c) they are certified or authenticated in any other manner accepted by the laws in the Requested State.

Article 11

Translation

All documents submitted by the Requesting State shall be in English.

Article 12

Provisional Arrest

1. In case of urgency, a Contracting State may request the provisional arrest of the person sought pending presentation of the request for extradition. A request for provisional arrest may be transmitted through the diplomatic channel. The facilities of the International Criminal Police Organization (Interpol) may be used to transmit such a request.

2. The application for provisional arrest shall contain:

(a) a description of the person sought;

(b) the location of the person sought, if known;

(c) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of the offense;

(d) a description of the laws violated;

(e) a statement of the existence of a warrant of arrest or a finding of guilt or judgment of conviction against the person sought; and

(f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow.

3. The Requesting State shall be notified without delay of the disposition of its application and the reasons for any denial.

4. A person who is provisionally arrested may be discharged from custody upon the expiration of sixty (60) days from the date of provisional arrest pursuant to this Treaty if the executive authority of the Requested State has not received the formal request for extradition and the supporting documents required in Article 9.

5. The fact that the person sought has been discharged from custody pursuant to paragraph (4) of this Article shall not prejudice the subsequent rearrest and extradition of that person if the extradition request and supporting documents are delivered at a later date.

Article 13

Decision and Surrender

1. The Requested State shall promptly notify the Requesting State through the diplomatic channel of its decision on the request for extradition.

2. If the request is denied in whole or in part, the Requested State shall provide the reasons for the denial. The Requested State shall provide copies of pertinent judicial decisions upon request.

3. If the request for extradition is granted, the authorities of the Contracting States shall agree on the time and place for the surrender of the person sought.

4. If the person sought is not removed from the territory of the Requested State within the time prescribed by the laws in that State, that person may be discharged from custody, and the Requested State may subsequently refuse extradition for the same offense.

Article 14

Temporary and Deferred Surrender

1. If the extradition request is granted in the case of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested State, the Requested State, subject to its laws, may temporarily surrender the person sought to the Requesting State for the purpose of prosecution. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting State and shall be returned to the Requested State after the conclusion of the proceedings against that person, in accordance with conditions to be determined by agreement of the Contracting States.

2. The Requested State may postpone the extradition proceedings against a person who is being prosecuted or who is serving a sentence in that State. The postponement may continue until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed.

Article 15

Requests for Extradition Made by More than One State

If the Requested State receives requests from the other Contracting State and from any other State or States for the extradition of the same person, either for the same offense or for different offenses, the executive authority of the Requested State shall determine to which State it will surrender the person. In making its decision, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to:

(a) whether the requests were made pursuant to treaty;

(b) the place where each offense was committed;

(c) the respective interests of the Requesting States;

(d) the gravity of the offenses;

(e) the nationality of the victim;

(f) the possibility of further extradition between the Requesting States; and

(g) the chronological order in which the requests were received from the Requesting States.

Article 16

Seizure and Surrender of Property

1. To the extent permitted under its laws, the Requested State may seize and surrender to the Requesting State all articles, documents, and evidence connected with the offense in respect of which extradition is granted. The items mentioned in this Article may be surrendered even when the extradition cannot be effected due to the death, disappearance, or escape of the person sought.

2. The Requested State may condition the surrender of the property upon satisfactory assurances from the Requesting State that the property will be returned to the Requested State as soon as practicable. The Requested State may also defer the surrender of such property if it is needed as evidence in the Requested State.

3. The rights of third parties in such property shall be duly respected.

Article 17

Rule of Speciality

1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requesting State except for:

(a) the offense for which extradition has been granted or a differently denominated offense based on the same facts on which extradition was granted, provided such offense is extraditable or is a lesser included offense;

(b) an offense committed after the extradition of the person; or

(c) an offense for which the executive authority of the Requested State consents to the person's detention, trial, or punishment. For the purpose of this subparagraph:

(i) the Requested State may require the submission of the documents called for in Article 9; and

(ii) the person extradited may be detained by the Requesting State for 90 days, or for such longer period of time as the Requested State may authorize, while the request is being processed.

2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offense committed prior to his surrender unless the surrendering State consents.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person, or the extradition of that person to a third State, if;

(a) that person leaves the territory of the Requesting State after extradition and voluntarily returns to it; or

(b) that person does not leave the territory of the Requesting State within 15 days of the day on which that person is free to leave.

Article 18

Waiver of Extradition

If the person sought consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings.

Article 19

Transit

1. Either Contracting State may authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other State by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channel. The facilities of Interpol may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be detained in custody during the period of transit.

2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Contracting State. If an unscheduled landing occurs on the territory of the other Contracting State, the other Contracting State may require the request for transit as provided in paragraph 1. That Contracting State shall detain the person to be transported until the request for transit is received and

the transit is effected, so long as the request is received within 96 hours of the unscheduled landing.

Article 20

Representation and Expenses

1. The Requested State shall advise, assist, appear in court on behalf of the Requesting State, and represent the interests of the Requesting State, in any proceeding arising out of a request for extradition.

2. The Requesting State shall bear the expenses related to the translation of documents and the transportation of the person surrendered. The Requested State shall pay all other expenses incurred in that State by reason of the extradition proceedings.

3. Neither State shall make any pecuniary claim against the other State arising out of the arrest, detention, examination, or surrender of persons sought under this Treaty.

Article 21

Consultation

The competent authorities of the United States and the Republic of India may consult with each other directly or through the facilities of Interpol in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.

Article 22

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with an offense for which extradition has been requested.

Article 23

Ratification and Entry Into Force

1. This Treaty shall be subject to ratification; the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. This Treaty shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification.

3. Upon the entry into force of this Treaty, the Treaty for the Mutual Extradition of Criminals between the United States of America and Great Britain, signed at London December 22, 1931, shall cease to have any effect between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America. Nevertheless, the prior Treaty shall apply to any extradition proceedings in which the extradition documents have already been submitted to the courts of the Requested State at the time this Treaty enters into force, except that Article 17 of this Treaty shall be applicable to such proceedings.

ARTICLE-24

Termination

Either Contracting State may terminate this Treaty at any time by giving written notice to the other Contracting State, any the termination shall be effective six months after the date of such notice.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have signed this Treaty.

DONE at Washington, D.C., in duplicate, this twenty-fifth day of June, 1997, in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub. Section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), in suppression of the notification G.S.R. No:-493 dated 1st April, 1966, the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other them chapter III, shall apply to the United States of America with effect from the date of Publication of this notification

[No. T. 413/15/95]
S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054